

आवेदन
जारी
हुआ

हुकम या कार्यवाही मख इनिशियल्स जज

निर्णय

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

4.7.19

पत्रावली पेश हुई। वकील उमर मसू उपा० /
दोनों पक्षकारान् डेक प्रकरण में
कोई साक्ष्य इत्यादि पेश नहीं करना
पाएते हैं। वकील उमर मसू ने - मागल
दाजा में उपास्थित डेक बटल की
तथा निम्नानुसार प्राथमिक डिक्री
जारी करवाने हेतु सहमति प्रकट की।
पक्षकारान् के हस्ताक्षर करवाने आते।

जवाब में
अवेदन
जारी

| | रक. नं. | रकवा |
|--------------------------|---------|--------|
| 1. शिव प्रसाद सिंह S/O | 231 | 0.12 ₹ |
| बाबू सिंह हि० 1/2 व | 242 | 0.28 |
| भवानी सिंह S/O बाबू सिंह | 249 | 0.08 |
| हि० 1/4 पदम बाई पुत्री | 667 | 0.28 |
| बाबू सिंह हि० 1/4 | | |
| जाति राजेश्वर सा. कावली | 4 | 0.76 |

शिव प्रसाद सिंह
अवेदन
जारी

| | रक. नं. | रकवा |
|--------------------------|---------|--------|
| 2. शिव प्रसाद सिंह S/O | 243 | 5.02 ₹ |
| बाबू सिंह हि० 1/2 | 244 | 0.33 |
| भवानी सिंह S/O बाबू सिंह | | |
| हि० 1/4 पदम बाई पुत्री | 2 कित | 5.35 ₹ |
| बाबू सिंह हि० 1/4 व | | |

नरेन्द्र सिंह S/O बलबीर सिंह
जाति जाट सीएच हि० 1/5 (एक बग फॉन)
शेखर का इन्डान उमर हिस्सा जमा रहेगा
उन्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी
कर बट्टे वारा प्रस्ताव भेजा करने
हेतु तहसीलदार इन्डान को कनिष्ठ
जिपुत किया जाता है तथा अवेदन डिक्री



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम
अहक
हुकम को
में जारी

5-12-19

जाते हैं कि पक्षकारों को हलक कर डेनमी
उपस्थित शत्रुत्व अहक केववाय नियम
(18 से 21) व धारा 53 R.T. Act के
प्रवधानों को मध्य नजर रखते हुए स
शस्त्रों का निरीक्षण करते हुए प्राथमिक
व्यवस्था कर पाठ्य रिपोर्ट मय मन्थन क्षेत्र
में वरीते हुए दिनांक 22-8-19 से पूर्व
न्यायालय में पेश करे। केववाय कार्यवाही
फीस 200/- रुपये निर्धारित की जाती है।
जो पक्ष केववाय कार्रवाई काय अहक मी
जमिनी। तदनुसार प्राथमिक पत्र लिखी
जाती है।

निर्णय 4-7-19 को सेरे इजलास
दुनाया गया।
इन्तजार वाला रिपोर्ट पत्रावली 22-8-19
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला कुन्दी

22-8-19

पत्रावली पेश डॉ. मनील पक्षकार उप
इन्तजार वाला रिपोर्ट पत्रावली 10-10-19
को पेश हो।

10-10-19

पत्रावली पेश डॉ. मनील पक्षकार उपस्थित
इन्तजार वाला रिपोर्ट प्राथमिक केववाय
R.T. इन्तजार पत्रावली 5-12-19 को पेश
हो।

ग्रं डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपरखण्ड आधीकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास श्री गोरधनलाल मीना ए.एस.

1. भवानी सिंह आ. राजू सिंह जाते बनाम (1.) श्री प्रसाद सिंह आ. राजू सिंह जाते राजपूर
राजपूर तहसील माथिया टाल तहसील इलाहाबाद जिला
तहसील तहसील जिला बुन्दी फीस
वगैरे (चादीगा) प्रतिवादीगा P.T.O.
मुहुर

मुकदमा नम्बर 37/दावा/14

दावा बाबत 88, 89, 53 ए.एस.

सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु ए.एस. व हाजिरी

श्री अलाहाल बीरा स. मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री गणेश रेकारी स.

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

चादीगा का वाद स. प्रतीवादी स.1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वाद प्रथमिक
डिग्री किया जाता है यशकाशन स. स.स. के ख.न. 231 रुका 0.12 है ख.न. 242 रुका
0.28 है ख.न. 249 रुका 0.08 है ख.न. 167 रुका 0.28 है किता-4 योग रुका 0.76 है
वाके ग्राम माथिया में स्थित क्वार्टी शरी में वादी स.1 का हिस्सा 1/4 वादी स.2 का हिस्सा 1/4 एव
प्रतीवादी स.1 का हिस्सा 1/2 रहेगा। इसी प्रकार ख.न. 243 रुका 5.02 है ख.न.
244 रुका 0.33 है किता-2 रुका 5.35 है वाके ग्राम माथिया में वादी स.1 का हिस्सा
1/20 वादी स.2 का हिस्सा 1/4 एव प्रतीवादी स.1 का हिस्सा 1/2 तथा प्रतीवादी स.4 का हिस्सा -

रुका 1/5 रहेगा। मुबलगा बाबत खर्चा इन रुका-पुस्तक

मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

अब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

4-7-2019

माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा


मुहर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बुन्दी

| मुद्दई | रुपया | पैसे | मुदायलह | रुपया | पैसे |
|-------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|
| 1. स्टाम्प अर्जीदावा | | | 1. स्टाम्प अर्जीदावा | | |
| 2. स्टाम्प वकालतनामा | | | 2. स्टाम्प अर्जी | | |
| 3. स्टाम्प वजह सबूत | | | 3. महन्ताना वकील | | |
| 4. महन्ताना वकील | | | 4. खर्चा गवाहोंन | | |
| 5. खर्चा गवाहोंन | | | 5. फीस कमिश्नर | | |
| 6. फीस कमिश्नर | | | 6. बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| 7. बाबत इजराय हुक्मनामा | | | 7. मुत्तफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उत्तानुसार पक्षकारान को तलब कर राजपत्र माडल बख्वाय नियम (19) में
व धारा 53 एनए के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए एव शक्ति का
निर्धारण करते हुए प्राथमिक बख्वाय लिये जाने हेतु तहसीलदार इन्कवाय
बख्वाय कारमिशनर नियुक्त कर अधिस्थ दिया जाता है कि इसी अनुसार प्राथमिक
बख्वाय कर चालना रिपोर्ट मय नमूना द्वेथ के दिनांक 18-8-2019 से पूर्व
न्यायालय में वेथ करे बख्वाय कमीशनर जीस 2001-कपरे निर्धारित की जाती है
जो वक्त बख्वाय वादीगण अडा करेगे। धक रवन कादपुर अधिपुता (रहेगा)




उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बुन्दी

2. पदमाबाई पुत्र काबूसिंह जात राजपूत निवासी माखिदा तहसील इन्कवाय
जिला बुन्दी

--वादीगण--

कनाम

- 2. श्रीमती सुमताबाई पुत्री काबूसिंह जात राजपूत चाले नवनासिंह निवासी
दलासिंह जी का छोटा तहसील हिडोली जिला बुन्दी
- 3. दीपाबाई पुत्री काबूसिंह चाले करेदासिंह हाडा निवासी चाली कसबा तहसील इन्कवाय
- 4. नरेन्द्रसिंह पुत्र बलवीर सिंह जात जाट सिख निवासी चक करेदासिंहवासा
तहसील भाठेडा जिला बाठेडा पंजाब
- 5. राज्य सरकार जयें तहसीलदार इन्कवाय जिला बुन्दी
- 6. उपपजीपक इन्कवाय
- 7. राजधान राज्य जयें जिला कलकत्ता बुन्दी



--पक्षवादीगण--

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बुन्दी

अन्तिम डिक्री ब मुकद्दमें इत्तादाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालतउपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी.....व
 इजलास.....श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.).....
 1 भवानी सिंह आ0 बाबू सिंह जाति राजपूत बनाम 1 मृतक शिवप्रसाद आ0 बाबूसिंह कायम मुकाम
 वगै0 निवासी ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ 1/1 श्रीमाती रूकमण कँवर पत्नी स्व0 शिवप्रसाद
 (वादीगण) सिंह जाति राजपूत निवासी माखीदा वगै0 तहसील
 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (प्रतिवादीगण)

पुस्तपर..

दावा बाबत 88,89,53,188 आर0 टी0 एक्ट एक्ट

मुकदमा नम्बर.....37/दावा/2014.....सन.....2021.....
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू.....हमरे.....व हाजिरी

.....श्री बाला लाल बीड़ा एडवोकेटमिनजानिब मुद्दई रुबरू.....श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि..... वादीगण का
 वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाता है कि बंटवारा कमिश्नर तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक जमाबन्दी
 सम्वत् 2068-2071 खाता संख्या 154 वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में वर्णित आराजी खसरा
 नं0 242 मे से 0.16 है0 उतर में, खसरा नं0 249 रकबा 0.08 है0, खसरा 667 में से 0.14 है0 पश्चिम की ओर कुल
 किता 3 योग रकबा 0.38 है0 वादीगण के हिस्से में, हिस्सा बराबर रहेगा तथा खसरा नं0 242 रकबा 0.12 है0
 दक्षिण में, खसरा नं0 231 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 667 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 योग रकबा 0.38 है0
 पूर्व की ओर प्रतिवादी संख्या 1 के का.मु. 1/1 लगायत 1/4 के हिस्से में रहेगी एवं खसरा नं0 243 रकबा 1.61
 है0 उतर की ओर वादी संख्या 1 का हिस्सा 27/161, एवं वादी संख्या 2 का हिस्सा 134/161 रहेगा एवं खसरा
 नं0 243 रकबा 3.41 है0 दक्षिण की ओर, खसरा नं0 244 रकबा 0.33 किता 2 योग रकबा 3.74 है0 में से प्रतिवादी
 संख्या 1 के का0मु0 प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 का हिस्सा 267/374 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा
 107/374 रहेगा। राहिन जमाबन्दी अनुसार यथावत रहेगा।निज.....मुबलिग.....
बाबत.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख22...माह.. ..07... सन...2021.....
को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
 लाखेरी (बून्दी)
 लाखेरी जिला बून्दी

दस्तखत

| मुहर | ओहदा | अदालत | अदालत |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. मुहर अदालत | 2. मुहर अदालत | 3. मुहर अदालत | 4. मुहर अदालत |
| 5. मुहर अदालत | 6. मुहर अदालत | 7. मुहर अदालत | 8. मुहर अदालत |
| 9. मुहर अदालत | 10. मुहर अदालत | 11. मुहर अदालत | 12. मुहर अदालत |
| 13. मुहर अदालत | 14. मुहर अदालत | 15. मुहर अदालत | 16. मुहर अदालत |
| 17. मुहर अदालत | 18. मुहर अदालत | 19. मुहर अदालत | 20. मुहर अदालत |
| 21. मुहर अदालत | 22. मुहर अदालत | 23. मुहर अदालत | 24. मुहर अदालत |
| 25. मुहर अदालत | 26. मुहर अदालत | 27. मुहर अदालत | 28. मुहर अदालत |
| 29. मुहर अदालत | 30. मुहर अदालत | 31. मुहर अदालत | 32. मुहर अदालत |


नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

2. पदमा बाई आयु 55 वर्ष पुत्री बाबू सिंह जाति राजपूत निवासी माखीदा तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी राज0

—वादीगण

बनाम

- 1/2 भंवर सिंह सोलंकी आ0 शिवप्रसाद सिंह जाति राजपूत निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
- 1/3 हरेन्द्र सिंह सोलंकी आ0 शिवप्रसाद सिंह जाति राजपूत निवासीग माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
- 1/4 राजेन्द्र सिंह सोलंकी आ0 शिवप्रसाद सिंह जाति राजपूत निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. समता बाई आयु 64 वर्ष पुत्री बाबू सिंह पत्नी नवल सिंह जाति राजपूत निवासी दलसिंह जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. दीपा बाई आयु 60 वर्ष पुत्री बाबू सिंह जाति राजपूत पत्नी फतेह सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी पाली बसवाड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
- 4 नरेन्द्र सिंह वयस्क आ0 बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी चक फतेह सिंहवाला तहसील भटिण्डा जिला भटिण्डा पंजाब।
- 5 राजस्थान राज्य सरकार जयें तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
- 6 उपपंजीयक इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
- 7 राजस्थान राज्य जयें जिलाधीश बून्दी तहसील व जिला बून्दी राज0।


उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

—प्रतिवादीगण

अहकाम
हुकम
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

चेथ करने. सशोधित उनका कायम हुकम
पन्नावली डिमांड 15-7-21 को चेथ हो

15-7-21

पन्नावली चेथ हुकम वमील उन्मयवत्त व
बादीगठा / प्रतियोगी उपस्थित कवाय कायम
तहसीलदार इन्सगठ काम केतुत प्रत्येक
कवाय रिपोर्ट का अवलोकन कयये.
जाने से प्रस्तुत कवाय रिपोर्ट से सहा
की. सशोधित सीधम चेथ किया गया
पश्कार सहित क्षेत्र से प्रत्येक कवाय
रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिमांड जारी
किये जाने पन्नावली 22-7-21 को
चेथ हो।

अहकाम
में जारी हुए

22-7-21

पन्नावली चेथ हुकम वमील पश्कार उपस्थित
कवाय कामेश्वर तहसीलदार इन्सगठ की
रिपोर्ट के मुताबिक अन्तिम डिमांड जारी
की गई। पन्नावली पर क्षेत्र कायम
नही होने से फैसल शुभार होकर
बाद तहसील दारिपल दफ्तर हो।

अहकाम अधिकारी
कलेरी (दुबे)